2018 का विधेयक संख्यांक 36

[दि प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी इन प्राइवेट सेक्टर बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2018

रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण करने के लिए प्रभावी पद्धतियों का संप्रवर्तन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''रिश्वत'' में प्रत्यक्षत: या अन्य पक्षों के माध्यम से किए गए सुविधा भुगतान, उपहार, अतिथि सत्कार और व्यय सम्मिलित हैं जिनसे कार्य संव्यवहार का परिणाम इस प्रकार प्रभावित हो सके या प्रभावित होने का बोध हो जो उचित और सद्भावपूर्ण न हो;

स्पष्टीकरण—'रिश्वत' शब्द तब उद्दापन हो जाएगा जब रिश्वत की मांग वैसी धमकियों के साथ की जाए जिनसे संलिप्त व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा या उसका जीवन संकटापन्न हो जाए, या जब वैध अधिकार का संरक्षण करने के लिए रिश्वत का बलात भुगतान कराया जाए या शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने के लिए और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए या उनको नहीं रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई राशि की मांग की जाए;

(ख) ''वाणिज्यिक सत्ता'' से अभिप्रेत है—

(*i*) भारत की विधियों के अधीन निगमित कोई निकाय जो भारत या भारत से बाहर व्यवसाय चला रहा हो; या

(*ii*) कोई अन्य कॉरपोरेट निकाय, जहां भी इसे निगमित किया गया है, जो भारत में व्यवसाय या व्यवसाय का कोई भाग चला रहे हैं; या

(*iii*) भारत में विधि के अधीन निर्मित साझेदारी जो भारत में या भारत से बाहर व्यवसाय कर रही हो; या

(*iv*) कहीं भी निर्मित कोई अन्य साझेदारी जो भारत में व्यवसाय या व्यवसाय के किसी भाग को चला रही है।

स्पष्टीकरण—'व्यवसाय' शब्द में किसी भी प्रकार का व्यापार, पेशा, वाणिज्य या विनिर्माण शामिल है।

(ग) 'जब्ती' से किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण के आदेश द्वारा संपत्ति से स्थायी रूप से वंचित किया जाना अभिप्रेत है तथा इसमें समपहरण भी शामिल है;

(घ) 'विदेशी लोक अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दूसरे देश के विधायी, कार्यपालक, प्रशासनिक या न्यायिक पद पर हो, चाहे उसकी नियुक्ति या निर्वाचन स्थायी हो या अस्थायी, चाहे उसे भुगतान हो रहा हो या नहीं या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दूसरे देश के लिए लोक कार्य या लोक सेवा कर रहा है;

(ङ) 'गैर-सरकारी संगठन' से भारत में विधि के अधीन निगमित कोई निकाय या कोई अन्य कॉरपोरेट निकाय, जो कहीं भी निगमित हो तथा जो भारत में अपनी धर्मार्थ या धार्मिक
1860 का 21 गतिविधियां चलाते हैं; सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी;
1882 का 2 भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत न्यास या व्यक्तियों का ऐसा संगम जो भारत में अपनी धर्मार्थ या धार्मिक गतिविधियां चलाते हैं, अभिप्रेत हैं तथा जिसमें समुदाय आधारित संगठन शामिल हैं;

1961 का 43 **स्पष्टीकरण**—'धर्मार्थ या धार्मिक गतिविधियों' से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (15) में यथा परिभाषित गतिविधियां अभिप्रेत हैं:

(च) 'व्यक्ति' में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(*i*) कोई व्यक्ति;

(*ii*) कोई कंपनी;

(*iii*) कोई फर्म;

(*iv*) कोई सोसायटी;

(*v*) कोई न्यास;

(*vi*) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(*vii*) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

(*viii*) सीमित देयता साझेदारी;

(*ix*) कोई भी कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्व के किसी भी उप-खंडों के भीतर शामिल नहीं है; और

(*x*) कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा जिसका स्वामित्व या नियंत्रण ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो;

(छ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन विहित किए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ज) 'अपराध के आगम' से इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त संपत्ति अभिप्रेत है; और

(झ) 'संपत्ति' से हर प्रकार की परिसंपत्ति, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल हो या अचल, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष तथा ऐसी परिसंपत्तियों में हक या हित दर्शाने वाले विधिक दस्तावेज या लिखत अभिप्रेत हैं।

निजी क्षेत्र में रिश्वत।

3. (*1*) ऐसे किसी भी व्यक्ति को रिश्वत देने के अपराध का दोषी माना जाएगा जब रिश्वत जानबूझकर आर्थिक, वित्तीय या वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान दी गई हो, और यदि जब यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हैसियत से किसी वाणिज्यिक निकाय में निदेशकत्व रखता है या कार्य करता है, से स्वयं उस व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित लाभ देने का वादा किया गया है, पेशकश की गई है या दिया गया है, ताकि वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए कतिपय मामलों में कोई कार्य करे या कार्य करने से विरत रहे।

(*2*) कोई व्यक्ति रिश्वत प्राप्त करने का दोषी होगा जब उसके द्वारा इसे आर्थिक, वित्तीय या वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान जानबूझकर किया गया हो, जब यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हैसियत से किसी वाणिज्यिक निकाय में निदेशकत्व रखता है या कार्य करता है, द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनुचित लाभ की याचना की गई है या उसे स्वीकार किया गया है ताकि वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए कतिपय मामलों में कोई कार्य करे या कार्य करने से विरत रहे।

विदेशी लोक अधिकारियों द्वारा रिश्वत का अपराध।

4. कोई व्यक्ति विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत देने के अपराध का दोषी माना जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के संचालन में ऐसा जानबूझकर किया गया है, जब यह सिद्ध हो जाता है कि किसी विदेशी लोक अधिकारी से उस अधिकारी या तीसरे पक्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से या किसी मध्यस्थ के माध्यम से अनुचित धन संबंधी या अन्य लाभ देने की कोई पेशकश, वादा किया गया है या उसे दिया गया है ताकि कारबार को प्राप्त करने या कारबार बनाए रखने या अन्य कोई अनुचित फायदा उठाने के लिए वह अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई कार्य करे या कार्य करने से विरत रहे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन हेतु विदेशी लोक अधिकारी द्वारा रिश्वत के अपराध के अधीन किसी विदेशी लोक अधिकारी को रिश्वत देने के कृत्य में सह-अपराधिता, उद्दीपन, सहायता करना, दुष्प्रेरित करना और प्राधिकृत करना या किसी विदेशी सरकारी पदधारी को रिश्वत देने के प्रयास और षड्यंत्र शामिल होंगे।

रिश्वत के अपराध को दुष्प्रेरित करना, सहायता देना या दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाना।

5. (*1*) कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के अधीन किसी अपराध को किसी भी हैसियत से दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है, वह उस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा।

(*2*) कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के अधीन अपराध करने का प्रयास करता है, उस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा।

वाणिज्यिक निकाय द्वारा रिश्वत का अपराध।

6. किसी वाणिज्यिक निकाय को इस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा यदि उससे संबद्ध कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस आशय से रिश्वत देता है—

(*i*) वाणिज्यिक निकाय के लिए कारबार प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के लिए; या

(*ii*) वाणिज्यिक निकाय के लिए कार्य संचालन में लाभ प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए।

परंतु यह कि वाणिज्यिक निकाय अपने बचाव में यह सिद्ध कर दे कि उसने उससे संबंधित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से रोकने हेतु अभिकल्पित ऐसी समुचित प्रक्रिया लागू की है, जो विहित की जाए।

गैर-सरकारी संगठन द्वारा रिश्वत का अपराध।

7. किसी गैर-सरकारी संगठन को इस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा यदि इससे संबद्ध कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को—

(*i*) गैर-सरकारी संगठन के लिए परिसंपत्तियां, अनुदान प्राप्त करने या बनाए रखने; या

(*ii*) अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के संचालन में कोई लाभ प्राप्त करने या बनाए रखने के आशय से रिश्वत दे।

परंतु यह कि वाणिज्यिक निकाय अपने बचाव में यह सिद्ध कर दे कि उसने उससे संबंधित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से रोकने हेतु अभिकल्पित ऐसी समुचित प्रक्रिया को लागू किया है, जो विहित की जाए।

कंपनी द्वारा रिश्वत का अपराध।

8. (*1*) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन हेतु प्रभारी या जिम्मेदार था, सहित कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

परंतु यह कि इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या यह कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु सम्यक तत्परता से प्रयास किया था।

(*2*) उप-धारा (*1*) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि यह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति, मौनानुकूलता से या उसकी लापरवाही के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा और वह कानूनी कार्रवाई का भागी होगा और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन हेतु—

(*i*) 'कंपनी' से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म, सोसायटी, न्यास, सीमित दायित्व वाली सहभागिता या व्यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है; और

(*ii*) फर्म के संबंध में 'निदेशक' से फर्म का एक भागीदार और न्यास के संबंध में न्यास का न्यासी अभिप्रेत है।

शास्तियां।

9. (*1*) धारा 3 या 4 के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति पहली बार अपराध करने पर सात वर्ष से अनधिक कारावास या चार लाख रुपए से अनधिक जुर्माने या दोनों और दूसरे या उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए दस वर्ष से अनधिक के कारावास या छह लाख रुपए से अन्यून जुर्माने या दोनों का भागी होगा।

(*2*) धारा 3 या 4 के अधीन अपराध का दोषी कोई अन्य व्यक्ति पहली बार अपराध करने पर तीन लाख से अनधिक जुर्माने और दूसरे या उत्तरवर्ती उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपए से अन्यून जुर्माने का भागी होगा।

(*3*) धारा 5 के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति दोषसिद्ध हो जाने पर दो लाख रुपए से अनधिक जुर्माने का भागी होगा।

अपराध के आगमों का अधिहरण।

10. (*1*) किसी व्यक्ति के दोषसिद्ध हो जाने पर धारा 3 या 4 के अधीन अपराध से व्युत्पन्न या अपराधों में संलिप्त आगमों या ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य ऐसे आगमों के संगत हो, का अधिहरण कर लिया जाएगा।

(*2*) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के ऐसे आगमों को आंशिक या पूर्ण रूप से अन्य संपत्ति में रूपांतरित या परिवर्तित कर दिया गया है तो ऐसी संपत्ति का अधिहरण किया जा सकेगा।

(*3*) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध से प्राप्त आगमों को वैध स्रोतों से अर्जित संपत्ति के साथ अंतर्मिश्रित कर दिया जाता है तो अंतर्मिश्रित आगमों की निर्धारित कीमत के अनुसार ऐसी संपत्ति का अधिहरण किया जा सकेगा।

(*4*) किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के ऐसे आगमों, से उत्पन्न आय या अन्य लाभों को, ऐसी संपत्ति, जिसमें अपराध से प्राप्त आगमों को रूपांतरित या परिवर्तित किया गया है, से उत्पन्न आय या अन्य लाभों का या ऐसी संपत्ति, जिसमें ऐसे अपराध के आगमों को अंतर्मिश्रित कर दिया गया है, से उत्पन्न आय या अन्य लाभों का उसी प्रकार और उसी सीमा तक अधिहरण किया जाएगा जितना कि अपराध के आगम हो।

(*5*) इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी अन्य अधिनियम के माध्यम से या पक्षों के बीच करार द्वारा उपबंधित किन्हीं अधिकारों या विशेषाधिकार के होते हुए भी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी बैंक, वित्तीय संस्था, वित्तीय मध्यवर्ती संस्था या वाणिज्यिक सत्ता को सूचना उपलब्ध कराने, अभिलेखों का अभिग्रहण करने या उन्हें प्रस्तुत करने, खातों पर रोक लगाने और अपराध के आगम को अभिहित खाते में विप्रेषित करने का आदेश देने का प्राधिकार होगा।

(*6*) इस अधिनियम के अधीन अधिहृत की गई अपराध आगम केन्द्रीय सरकार को प्रदान की जाएगी।

विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति।

11. (*1*) **केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगी जितनी संख्या में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करने के लिए आवश्यक हो।**

(*2*) कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो।

1974 का 2

1974 का 2

(*3*) विशेष न्यायाधीश विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(*4*) विशेष न्यायाधीश, इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का विचारण करते समय, उन सभी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

अपील एवं पुनरीक्षण।

12. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन उच्च न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की समस्त शक्तियों का, जहां तक प्रयोज्य हों, वैसे ही प्रयोग कर सकेगा जैसे कि विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सत्र न्यायालय हो। 1974 का 2

साक्षियों और सूचना देने वाले व्यक्तियों का संरक्षण।

13. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन स्थापित अपराधों के संबंध में परिसाक्ष्य देने वाले साक्षियों, सूचना देने वाले व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों और उनके सम्बन्धियों को संभावित प्रतिशोध या अभित्रास से प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार ऐसे साक्षियों और सूचना देने वाले व्यक्तियों के शारीरिक संरक्षण के लिए और ऐसे व्यक्तियों की पहचान और ठिकाने का प्रकटन न करने या प्रकटन पर निर्बंधन लगाने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करेगी।

(*3*) उपधारा (1) और (2) के उपबंध पीड़ितों पर भी, जहां तक कि वे साक्षी हों, लागू होंगे।

(*4*) उद्यापित रिश्वत के मामलों में, यदि रिश्वत देने वाला व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है, तो उसे भ्रष्टाचार सूचना प्रदाता के रूप में इस खंड के अधीन संरक्षण प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यह कि स्पीड मनी के मामले में यह संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा।

वाणिज्यिक सत्ता द्वारा रिश्वत का निवारण।

14. (*1*) वाणिज्यिक सत्ताओं द्वारा इनसे संबद्ध व्यक्तियों को रिश्वत से रोकने के उद्देश्य से ऐसी समुचित प्रक्रियाएं, जो विहित की जाएं, बनाई जाएंगी।

(*2*) प्रक्रियाओं में वाणिज्यिक सत्ताओं के लिए यह उपबंध होगा कि वे रिश्वत को रोकने और इसका पता लगाने के लिए आंतरिक नियंत्रणों, आचार और अनुपालन संबंधी उपायों की प्रभाविता को स्थापित और सुनिश्चित करें और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(*i*) रिश्वत का प्रतिषेध करने वाली एक स्पष्टत: अभिव्यक्त और प्रत्यक्ष नीति;

(*ii*) सत्ता के सभी स्तरों पर इस नीति का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देश;

(*iii*) सत्ता के सभी स्तरों पर प्रक्रियाओं के उल्लंघन से निपटने के लिए समुचित अनुशासनिक प्रक्रियाएं;

(*iv*) स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना करना;

(*v*) आचार और अनुपालन संबंधी उपायों का निरीक्षण करना तथा स्वतंत्र निगरानी निकाय को इसकी जानकारी देना;

(*vi*) नीति और प्रक्रियाओं का अन्य पक्षों जैसे अभिकर्त्ताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों, वितरकों, भागीदारों, संविदाकारों, सलाहकारों, आपूर्तिकर्त्ताओं, साथियों, सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम के भागीदारों पर लागू किया जाना सुनिश्चित करना और ऐसे अन्य पक्षों से रिश्वत का प्रतिषेध करने वाली नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता लेना;

(*vii*) रिश्वत के विरुद्ध बनाई गई विधियों और रिश्वत के विरुद्ध सत्ता की नीति के बारे में निकाय के सभी स्तरों पर आवधिक रूप से संसूचना और प्रशिक्षण देने के उपाय; और

(*viii*) एक ऐसे समुचित भ्रष्टाचार सूचना प्रदाता तंत्र की स्थापना करना जिसमें ऐसी सूचना देने पर पुरस्कार प्रदान करने और भ्रष्टाचार सूचना प्रदाताओं का संरक्षण करना शामिल है।

अपराध के आगम का निवारण करना और इसका पता लगाना।

15. (*1*) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय मध्यवर्त्ती संस्थाओं को ऐसी रीति से, जैसीकि विहित की जाए, ऐसे ग्राहकों के खाते में जमा कराई गई धनराशियों के हिताधिकारी स्वामियों की पहचान अवधारित करने के लिए समुचित कदम उठाने होंगे।

(*2*) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय मध्यवर्त्ती संस्थाओं के उप-धारा (*1*) के अधीन हिताधिकारी स्वामियों का अभिलेख रखना होगा और वे, न्याय निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा जब भी अपेक्षित हो, ऐसी सूचना उपलब्ध कराएंगे।

16. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

अधिनियम के उपबंध का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

17. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिश्वत की समस्या चिन्ताजनक स्तर पर पहुंच गई है। यह अनुमान है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण भाग सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में इस व्यापक भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो जाता है। इसलिए, रिश्वत से न केवल लोगों के मानस को चोट पहुंचती है बल्कि इससे आर्थिक विकास को भी बाधा पहुंचती है। इसके अलावा, यह समस्या गरीबों के लिए अधिक कष्टदायक है क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के हैं।

सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिया जाना इस मुद्दे का केवल एक भाग है। रिश्वत निजी क्षेत्र में भी व्याप्त है। निजी क्षेत्र में रिश्वत के मुद्दे के समाधान के लिए विधियों की कमी है। विधेयक का आशय इस मुद्दे के समाधान के लिए एक विधायी ढांचे का उपबंध करना है। इस विधेयक का आशय साक्षी सुरक्षा कार्यक्रम का भी उपबंध करना है जिसका कार्यान्वयन सरकार द्वारा किया जाना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 जनवरी, 2018
8 माघ, 1939 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 11 में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर भारत की संचित निधि से प्रतिवर्ष लगभग एक सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग चालीस करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 17 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि नियमों का संबंध केवल ब्यौरों के मामलों से होगा, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का
निवारण करने के लिए प्रभावी पद्धतियों का संप्रवर्तन करने और
उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—4208LS(S3)—28-02-2018.